

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER
सीपज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
ई-मेल /E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site :
www.seepz.gov.in



परिपत्र संख्या 49 /2022


विषय: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में।

प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग किए जाने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनको प्राप्त करना इन कार्यालयों के लिए अपेक्षित होता है। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	यह कार्यालय 'ख' क्षेत्र में स्थित है	लक्ष्य
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	90%
		2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	90%
		3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	55%
		4. 'ख' क्षेत्र से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	90%
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना		100%
3	हिंदी में टिप्पण		50%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम		60%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती		70%
6	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)		55%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)		100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना		100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय		50%
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद		100%

11	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100% (द्विभाषी)
13	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)
14	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही में एक बैठक)
15	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%

सभी शाखा अधिकारियों//अनुभाग प्रभारियों को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करें।


 (चंद्रपाल सिंह चौहान)
 संयुक्त विकास आयुक्त,
 सीप्ल-सेज़, मुंबई

टिप्पणी:

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
'क'	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
'ग'	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

फा.सं.सीप्ल-सेज़/हिंदी-155/08/पार्ट फाइल IV/06522

दिनांक: 29.04.2022

प्रति,

1. सभी शाखा अधिकारी - कृपया यह परिपत्र जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के बीच परिचालित करवाएं।
2. सभी अनुभाग प्रभारी
3. विकास आयुक्त कार्यालय
4. संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय
5. उप विकास आयुक्त कार्यालय
6. संबंधित फाइल
7. सभी सूचना पट्ट
8. आईटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए